



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०८/१६९/२०२२/एफ०सी०/576

दिनांक : 19.09.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Water/150368/2021

विषय: उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्वा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9885 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं० : 694/11-सी-FP/UP/Water/150368/2021, लखनऊ, दिनांक-26.08.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-186/81-2-2022-800(203)/2022, दिनांक-07.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. In this case, CA scheme has been provided on 2.126 ha. NFL and CA scheme on 3.0 ha. for plantation of 1330 trees in lieu of 10 times of 133 trees to be felled but it may be noted that as per part-ii of the proposal. 375 trees are proposed for felling, which means CA is wrongly proposed. Also, .kml file of said 3.0 ha. patch is not available on portal, only .kml file of NFL has been provided. Thus, CA scheme for plantation of 375*10 trees is required.
2. The status regarding rest of the area (PF-12.4869 ha.) is still not clear. The area that falls within the already diverted ROW may be exempted from CA but the State has to clarify how much of the proposed PF area falls within the diverted RoW.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, महोबा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)